इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2013—आश्विन 4, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (51).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लिखित एजेन्सियों के लिए या उनकी ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा गेहूं के क्रय को उक्त धारा के अधीन कर के भुगतान से दिनांक 26 नवम्बर 2009 से छूट प्रदान करती है:—

1. मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम मर्यादित
2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
3. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
4. भारतीय खाद्य निगम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (51), दिनांक 26 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2013

No. F-A-3-22-2011-1-V(51).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts, the purchases of Wheat by a Co-operative Society for or on behalf of the agencies mentioned below, from payment of tax under the said Section from 26th November 2009:—

1. Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited
2. Madhya Pradesh State Co-operative marketing Federation Limited
3. Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation
4. Food Corporation of India.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.